बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक ....

दिनांक..........................

1. सहायक निबंधक महानिरीक्षक पटना प्रमंडल पटना — पत्रांक 22 / 17-9-19

Received by
Ravi Kumar
18.9.19

2. सहायक निबंधक महानिरीक्षक पटना प्रमंडल पटना — पत्रांक 24 / 26-9-19

Received by
Gaurav Sinha
26/09/19

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* **सुशील कुमार**
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* **खुर्शीद अनवर सिद्दिकी**
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 22 .... दिनांक 17-9-2019

सेवा में,

सहायक निबंधक महानिरीक्षक,
पटना प्रमंडल, पटना।

महाशय,

भवदीय द्वारा दिनांक–12.09.2019 को किये गये सुनवाई में अधोहस्ताक्षरियों द्वारा उत्तर सामाग्री उपलब्ध कराया गया था। अगर श्री अनिल कुमार वादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर उपलब्ध कराया गया है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि उस पर प्रतिक्रिया दिया जा सके।

17/9/19	17/9/19
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी	**सुशील कुमार**
महासचिव	अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक ....

दिनांक............................

1. सहायक निबन्धन महानिरीक्षक
पटना प्रमंडल पटना

पत्रांक 21
11-9-2019

12/9/19

2. निबंधक महानिरीक्षक
बिहार सरकार
पटना

पत्रांक 17 / 27-8-19, 18 / 27-8-19, 19 / 27-8-19

दि- 12.9.19
1:40 PM

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 21 दिनांक 11-9-19

Before,

The Court of Assistant Inspector General of Registration, Patna.

Reply to the complaint made by Sri Anil Kumar on behalf of Bihar Administrative Service Association. We Sushil Kumar President Khurshid Anwar Siddiqui General Secretary of the Bihar Administrative Service Association do here by solemnly affirm and state as follows :-

1. That we are president and General Secretary of the Bihar Administrative Service Association here in after in short referred as BASA and as such are well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That we have gone through the contents of complainant filed by Sri Anil Kumar and understood the same for filing the reply.

3. That the statements made in Para 1 & 2 of the complaint are matter of record requires no comment.

4. That the statement made in Para 3 of the complaint is not correct. The correct fact is that head wise and financial year wise audit has already done. The copy of the same is being annexed as Annexure-I to

this reply. It is relevant to mention here that it is in practice to show audit report from last General Body Meeting to present General Body Meeting. All though the complaint himself was Jt. Secretary of BASA from 16.06.2008 to 25.12.2011 and again from 30.12.2011 to 16.07.2017 but he did not object the practice to present audit from previous General Body Meeting to present General Body Meeting.

5. That the statement made in Para 4 of the complaint is not fully correct. The correct fact is that audit report was presented from 01.12.2011 to 31.05.2017 during General Body Meeting on 17.07.2017 although as explained earlier the financial year wise audit was already done.

6. That the statement made in Para 5 of the complaint is misinterpretation of the complaint and nothing more. The correct fact is that he body of account of the following funds were audited by K. Hari Ji & Co. for the period as mentioned below :-

(i)	General Fund	01.12.2011 to 31.05.2017
(ii)	Legal Fund	19.10.2013 to 31.05.2017
(iii)	Welfare Fund	01.12.2011 to 31.05.2017
(iv)	Cultural Fund	01.12.2011 to 31.05.2017
(v)	Building Fund	01.12.2011 to 31.05.2017

It is relevant to mention here that in the printed books of Annual General Meeting held on 16.07.2017 income and expenditure for 12.02.2011 to 31.05.2017 was wrongly printed by the printing press, whereas it was receipts and payment account for the period 01.12.2011 to 31.05.2017 except legal fund which was from 19.10.2013 to 31.05.2017, which is also mentioned on the same page below the registration number. Hence income and expenditure for 12.02.2011 to 31.05.2017 is printing mistake.

7. That the statement made in Para-6 of the complainant is merely and allegation against the BASA and nothing more. The correct fact is that for inspection and verification of income and expenditure, Central Executive Committee has arranged special Meeting on 02.05.2018, where in all members including complainant were invited through S.M.S. though no member including complaint raised any doubt on audit etc, even complainant was present but no signature was made by the complainant on register. As such every Voucher/Cashbook/Year wise, head wise audit report was presented there for inspection and verification to any members. The copy of proceeding dated 02.05.2018 is being as annexure-II.

8. That the statement made in Para-7 of the complaint is false and fabricated allegation against the BASA and nothing more. It is pertinent to mention here hat property of BASA is used for the Welfare for BASA members.

9. That the statement made in Para-8 of the complaint is also false and fabricated allegation against the BASA and nothing more. It is relevant to mention here that the community hall is not letting out to non members but it is being used by BASA members for which members donate for maintenance and donation varies it may be Rs 1000/-, Rs 2000/-, Rs 5000/-, Rs 6000/-, Rs 11,000/-, Rs 21,000/-, Rs 25,000/- and Rs 1,00,000/- etc on proper receipt.

10. That the statement made in Para-9 of the complaint is misinterpretation of the complaint and nothing more. It is relevant to mention here that BASA has not given allotment letters to any members. However the complainant was supposed to avail BASA premises on 01.04.2018 but he did not used BASA premises on 01.04.2018 the reason best known to him.

11. That the statement made in Para-10 of the complaint is also false and fabricated allegation against the BASA and nothing more. The BASA is not entitled to let out Government land as such BASA has not let out Government land in any manners to anyone.

12. That the statement made in Para-11 of the complaint is merely an allegation against the BASA and nothing more. It is relevant to mention here that BASA follows the terms and conditions of lease agreement. As such there is no complaint against lease by the D.M., Patna who is lessor.

13. That the statement made in Para-12 of the complaint is misinterpretation of the complaint. The fund received by BASA is used for the Welfare of BASA. BASA is not using any fund for commercial purpose. The books of account of the society is being maintained on Cash basis on single entry system, since the registration of the society. Hence no provision for liabilities has been made in the books of account of the society. As per Income Tax Act, it is responsibility of the payee to deduct TDS amount from the payment to be made for advertisement expences. Further society has no PAN as on date of Annual General Meeting. We have applied for PAN of the society and after getting PAN, we will also apply for 12A exemption under Income Tax Act.

14. That the statement made in sub paras of Para-13 of the complaint is merely an allegation and nothing more. It is relevant to mention here that as per bye laws of 3 (b) the Annual General Body Meeting of the association shall be called by calendar year (Preferable in last week of December of every calendar year) or till the Constitution of new Central Committee.

There is nothing wrong to hold General Body Meeting after one year as per 3 (b) bye laws, it has given power by the words "Or till the Constitution of new Central Committee."

The complainant was joint Secretary from 2008 to 2011 and again from 2011 to 2017 but no objection was raised by him in Central Executive Committee Meeting about audit, Commercial uses of BASA building, General Body Meeting etc. While during 2008 to 2011, Central Executive Committee hold 20 Meetings in which Complainant cum Joint Secretary attended 3 Meetings only. Again during 2011 to 2017, Central Executive Committee hold 36 Meetings in which Complainant cum Joint Secretary attended 3 Meetings only.

Moreover according to bye laws 3(b) (ii) "be the president on requisition in writing by not less than 30 members of the association, within one month of receipt of requisition/notice and the notice of such extra ordinary general Meeting shall be such extra ordinary general Meeting shall be sent out to the members through their respective District unit.

Provided that no member signed the requisition for convening the extra ordinary general Meeting should be in arrear of subscription/ dismissed/terminated before the date of such requisition."

As such the complainant could have avail the opportunity given in 3(b)(ii) of bye laws but he did not, the reason best known to him. Moreover amendment of one year has been made to two year in 3(b) copy is being annexed as annexure-III. Central Committee has decided to have Aam Sabha on 24.11.2019.

15. That the statement made in Para-14 of the complaint is false and fabricated allegation against the Office bearers of the BASA and

repeatition of Para-6 & 9 which has already been explainedin detail in Preceding paragraph of this reply.

16. That the statement made in Para-15 &16 of the complaint are provision of law by way of submission of the complaint. However BASA is following the bye laws as well as provision of Society Registration Act, 1860 in accordance with law.

17. That the statement made in Para-17 of the complaint is repeatition of Para-13 as such the same is already explained in detail in Preceding of this reply.

18. That the statement made in sub paras of Para-18 of the complaint are false, fabricated and baseless statements of the complaint and nothing more. It is pertinent to mention here that the BASA is functioning in accordance with bye laws for the Welfare of BASA members. The Complainant was given opportunity to examine/inspect the BASA documents on 02.05.2018 but the complainant did not availed the aforesaid opportunity, the reason best known to him.

19. That in the facts and circumstances of the case, it is evident that the complainant is not coming before this Court with clean hand and by suppressing material facts, Complainant tried to take any favourable Order from this Court. Hence this Complainant petition is devoid of any merit and fit to be dismissed with exemplory cost.

20. That the present complaint case is unsustainable in the eye of law and fit to be dismissed.

21. That I have gone through the contents of this reply, which I have understood and the same are true to my Knowledge.

11/9/19 — Sushil 11/9/19

General Secretary **President**

ANNEXURE — II

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो. – 9431091417, 7004466338
E mail shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 07A

दिनांक 2-5-2018

दिनांक–02.05.2018 को रोकड बही अंकेक्षण के संदर्भ में हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक का उद्देश्य बताया गया कि बासा के अंकेक्षण रोकड़ बही को सदस्यों के समक्ष निरीक्षण एवं आपत्ति दर्ज करने के लिए बुलाई गयी थी। अंकेक्षण रोकड़ बही बैठक में सदस्यों के समक्ष निरीक्षण आपत्ति दर्ज करने के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। परंतु विषय बिन्दू पर चर्चा हुई एवं सदस्यों को अपनी शिकायत पंजी में दर्ज करने को कहा गया ताकि विधिवत उसका विवरणी की जा सके, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा इस बिन्दू पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। आपत्तिकर्त्ता श्री अनिल कुमार द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई और न ही उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में अपना हस्ताक्षर बनाया गया।

अन्त में वगैर निरीक्षण, वगैर आपत्ति दर्ज किये सभी सदस्य वहां से अपने–अपने गन्तव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गये।

(हस्ताक्षर) 2/5/18
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

(हस्ताक्षर)
सुशील कुमार
अध्यक्ष

ज्ञापांक– 07A, दिनांक– 2-5-2018
प्रतिलिपि :– केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2/5/18
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

ANNEXURE — III

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com
महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक ......18............

दिनांक 12-8-2018

दिनांक– 12.08.2018 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक में सर्वप्रथम SGRY मामले पर चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि SGRY मामले में जस्टिस उदय सिन्हा के अध्यक्षता में गठित आयोग का प्रतिवेदन सरकार को समर्पित हो चुका है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र तीन पदाधिकारियों पर कुछ टिप्पणियाँ की गई है। शेष पदाधिकारियों के लिए यह खुशी की बात है कि लगभग 500 पदाधिकारी इस मामले में निर्दोष पाये गये। यह ऐतिहासिक पल संघ के प्रयास से हुआ है। संघ के सभी सदस्यों को इसके लिए बधाई दी गई। जहाँ तक दो–तीन सदस्यों की बात है संघ को उम्मीद है कि वो भी इसमें सफलता पायेंगे।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि "11 से 18 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है जबकि पाँच वर्ष पर पहली प्रोन्नति होनी चाहिए।

सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक– 942, दिनांक– 28.01.2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया, जिसमें पदों की संख्या 2878 से घटाकर 851 की गई थी। जिसके फलस्वरूप प्रोन्नति में रूकावट उत्पन्न हो गई। संघ द्वारा सरकार से बार–बार माँग की गई कि गैर संवर्गीय पदों, जिस पर पदस्थापन की जा रही है, के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाय ताकि प्रोन्नति में Stagnation खत्म हो सके। दिनांक– 29.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग संरचना की पुनः समीक्षा की जाय तथा संवर्ग की पुर्नसंरचना हेतु कार्रवाई की जाय। तदोपरान्त सामान्य प्रशासन के

संकल्प ज्ञापांक– 7118, दिनांक– 03.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन में पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया जिसमें पदों की संख्या बढ़ा कर 1634 की गई ताकि प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो सके। संघ इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आशा करता है कि बढ़े हुए पदों के विरूद्ध प्रोन्नति शीघ्रता से प्रदान की जाएगी।

3. चावल/धान अधिप्राप्ति मामले में सदस्यों का न्यायिक मामले की जानकारी दी गई। बताया गया कि नये मुख्य सचिव को इस संदर्भ में वार्त्ता कर जानकारी दी जाएगी। संघ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने देने का प्रयास कर रही है।

4. कोषाध्यक्ष द्वारा संघ के आय–व्यय पर विस्तृत चर्चा की गई। दिनांक– 01.06.2017 से 31.03.2018 तक अंकेक्षण किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5. संघ के सदस्यों का वार्षिक चन्दा पर चर्चा की गई। दिनांक– 14.06.2009 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में वार्षिक चन्दा 100 से बढ़ाकर 200 रूपया की गई थी। विचारोंपरान्त By Law के कंडिका– 2(ii)(a) के आलोक में सदस्यों का वार्षिक चन्दा 1000 रूपया प्रतिवर्ष करने पर निर्णय लिया गया।

6.(A) सदस्यों को बताया गया कि दिनांक– 25.12.2011 को आमसभा में निम्न संशोधन किये गये :–

(i) By Law के कंडिका– 3(b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन एक वर्ष के लिए होना है। पूर्व में कोई भी आम सभा एक वर्ष में नहीं हुई है। ऐसे भी किसी भी कार्यकारिणी के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक– 26.12.2010 की बैठक में कंडिका– 8 में यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाय।

(ii) By Law के कंडिका– 5(a) एवं (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 27 के अतिरिक्त 5(c) के अनुसार सभी अनुमंडल/जिला/प्रमण्डल ईकाई के अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में अनेक सदस्य को मनोनीत किया जाता है परन्तु सूचना निर्गत होने के बाद भी कार्यकारिणी की पूर्व के वर्षों में हुई बैठक में मात्र 10–15 सदस्यों तक ही उपस्थिति हो पाती है। उपस्थिति अधिक होने के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिनांक– 16.10.2011 कंडिका (2) में यह निर्णय लिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाय।

6.(B) पुनः बताया गया कि दिनांक– 16.07.2017 को हुई आम सभा में निम्न संशोधन किये गये:–

(i) BASA By Law के कंडिका– 2(ii) (b) में वर्णित है कि The Subscription for life membership shall be Rs. 1000/- (One Thousand) or as decided by the central executive committee from time to time. इसे बढ़ाकर 5000/– करने का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिनांक– 22.12.2013 में लिया गया।

दिनांक– 18.12.2016 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई कि "Life time जो Working Member है उन्हें ही Membership देना होता है इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि Life Time Membership सेवानिवृत पदाधिकारी, BAS से IAS में प्रोन्नत पदाधिकारी एवं तदोंपरान्त सेवानिवृत पदाधिकारी Life time Membership दे सकते है। जिन्हें विशेष आयोजन पर आमंत्रित किया जा सके।

(ii) दिनांक– 13.12.2015 का कंडिका– (4) केन्द्रीय कार्यकारिणी में सेवानिवृत संघ के पदधारक या संघ को स्वेच्छा से सेवा देने वाले पदाधिकारी को सम्मानित/संघरक्षक सदस्य रूप में रखने पर विचार किया गया।

तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

12/8/18
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

12/8/18
(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

12/8/18
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव